24.5.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं प्रतिवादी कोई उपस्थित नहीं है। वकील वादी ने प्रतिवादीया को न्यायालय समय तक बार-बार आवाज लगवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 148 सी.पी.सी. अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से खाम होकर दाखिल-दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.06.14 13:19:11 IST
Reason: SelfAttested